BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 16 जुलाई, 2022 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना कोतवाली नगर**

गौकशी व मुठभेड की घटना में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, गौकशी करने के औजार व बाइक बरामद

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.07.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम वलीपुरा रोड पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी कि उसी समय एक बाइक पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको रूकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त बाइक को तेजी से लेकर वलीपुरा नहर की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाशों की बाइक असन्तुलित होकर गिर गयी जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश जंगल की तरफ भागने में सफल रहा जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान तसलीम पुत्र तहसीन निवासी सैठा रसूलपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, गौकशी करने के औजार व बाइक बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बदमाश तसलीम शातिर किस्म का गौकश अपराधी है जो थाना गुलावठी पर पंजीकृत मुअसं-112/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व मुअसं-113/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- तसलीम पुत्र तहसीन निवासी सैठा रसूलपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2- 01 डिस्कवर मोटर साइकिल बिना नम्बर
3- गौकशी के उपकरण

अभियुक्त तसलीम का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-112/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलवाठी बुलन्दशहर।
2- मु0अ0सं0-113/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना गुलवाठी बुलन्दशहर।
3- मु0अ0सं0-623/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
4- मु0अ0सं0-624/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री संजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर

2- व0उ0नि0 उपेन्द्र मलिक

3- उ0नि0 अतुल चौहान, उ0नि0 अजयपाल सिंह, उ0नि0 अंकित चौहान मय पुलिस टीम।

मीडिया सेल बुलंदशहर